फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

रामनिवास बनाम उपखण्ड अधिकारी चौमूं व अन्य

प्रकरण संख्या 17 /2023 (मुंतकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
06.02.2023	दरख्वास्तगुजार ने उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 68/2020 ब-उनवानी श्रीमती मन्नी देवी बनाम तीजा देवी व अन्य में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरणों को दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने का अनुरोध किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब हो। विपक्षीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 02.03.2023 को पेश हो। ह० जिला कलक्टर जयपुर	
2-3-23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी चौमू के पीठासीन अधिकारी प्रियवृत सिंह चारण आर. ए. एस. का अन्यत्र स्थनान्तरण हो गया । प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । उपखण्ड अधिकारी चौमू की पीठासीन अधिकारी श्री प्रियवृत सिंह चारण आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरणहो जाने से उनके विरूद्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। ह० (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर जयपुर	